हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना- गढ़मुक्तेश्वर   दिनांकः- 27-10-2024

"~ संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध हापुड़ पुलिस की कार्यवाही ~"

- **थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक शातिर अपराधी द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति 0.4850 हेक्टेयर (जमीन वर्तमान बाजार कीमत करीब 1.75 करोड रुपये) को कुर्क किया गया।**
- **अभियुक्त मुकेश शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध संसाधनों से धन अर्जित कर ग्राम चांदनेर में कृषिभूमि खरीदी गई थी जिसके जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है।**

कार्यवाहीः-

हापुड पुलिस द्वारा जनपद में शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा थाना बहादुरगढ़ के मु0अ0सं0 308/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से सम्पत्ति अर्जित कर ग्राम चांदनेर में खरीदी गई कृषिभूमि 0.4850 हेक्टेयर (वर्तमान बाजार कीमत करीब 1.75 करोड रुपये) को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट हापुड के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया।

अभियुक्त का नाम व पताः-

मुकेश पुत्र विशम्बर निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।